संख्याः-35/2025/सा0-196/अड़तीस-7-2025/38-9099(99)/35/2022

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उ0प्र0।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊः 22 जुलाई, 2025**

विषयः-प्रदेश में हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कराये जाने हेतु लघु सिंचाई विभाग को अतिरिक्त कार्यदायी संस्था नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-566/अड़तीस-9-2017-500(39)/2013 दिनांक 06.10.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन का कार्य उ0प्र0 जलनिगम एवं यू0पी0 एग्रो इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन के माध्यम से कार्य कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन का कार्य कराये जाने हेतु उपर्युक्त कार्यदायी संस्था के साथ-साथ लघु सिंचाई विभाग को भी कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है। उक्त के दृष्टिगत विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन का कार्य कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जलनिगम, यू0पी0 एग्रो इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन के साथ लघु सिंचाई विभाग से भी कराया जा सकेगा। अतः शासनादेश संख्या-566/अड़तीस-9-2017-500(39)/2013 दिनांक 06.10.2017 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश दिनांक 06.10.2017 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

भवदीय

मनोज कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-35/2025/सा0-196(1)/अड़तीस-7-2025/38-9099(99)/35/2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

अजय कुमार मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in